भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1182

(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

एमसीए **21** वी**3** फाइलिंग आर्किटेक्चर एवं वैश्विक कर प्रकटीकरण

1182. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारीः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने **09** विरासत निगमन-पश्चात् अनुपालन प्रपत्रों को नव-एकीकृत ई-सीएचएनजी (इलेक्ट्रॉनिक चेंज) और ई-कॉन (इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन) प्रपत्रों से बदलने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है**;**
(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है**;**
(ग) एकीकृत बहु-स्तरीय संपरिवर्तन प्रपत्रों को अपलोड करते समय कॉर्पोरेट फाइलकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही प्रणाली एकीकरण संबंधी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं**;**
(घ) हाल ही में अधिसूचित लेखा मानक (एएस) **22** संशोधनों के माध्यम से यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि घरेलू बहुराष्ट्रीय समूह अपने वैश्विक न्यूनतम कर जोखिमों को पारदर्शिता से रिपोर्ट करें**;** और
(ङ) क्या सरकार द्वारा जटिल आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) पिलर टू (**02)** आयकर नियमों के संबंध में सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम कंपनियों (एसएमसी) को स्थायी प्रकटीकरण छूट प्रदान किए जाने की संभावना है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी नहीं।

(ख) एवं (ग): भाग (क) के उत्तर के दृष्टिगत, लागू नहीं होता।

(घ): एएस 22 (आय पर करों के लिए लेखांकन) में संशोधन का उद्देश्य आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के स्तंभ द्वितीय मॉडल नियमों से उत्पन्न लेखांकन तथा प्रकटीकरण संबंधी निहितार्थों का समाधान करना है, जिनके द्वारा वैश्विक न्यूनतम कर का ढांचा प्रारंभ किया गया है।

यह संशोधन कंपनियों को देश में संबंधित कर विधि अधिनियमित किए जाने तक, आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं के संबंध में एएस 22 के अधीन मान्यता तथा प्रकटीकरण अपेक्षाओं से राहत प्रदान करता है। तथापि, ऐसी मान्यता से संबंधित अपवाद के बारे में प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है। साथ ही, द्वितीय स्तंभ आय करों से संबंधित चालू कर व्यय (आय) का पृथक रूप से प्रकटीकरण किया जाना भी अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे समय में जब द्वितीय स्तम्भ संबंधी विधान लागू हो चुका हो या उसका सार रूप तैयार हो चुका हो लेकिन अभी तक प्रभावी न हुआ हो, तो कंपनी के लिए अपने जोखिम के बारे में ज्ञात या उचित रूप से अनुमानित स्तर तक गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी प्रकट करना अनिवार्य है। इससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उस कानून से उत्पन्न द्वितीय स्तम्भ आयकर के प्रति कंपनी के जोखिम को समझने में सहायता मिलती है। यह आवश्यकता लघु एवं मध्यम आकार की कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ङ): जी नहीं। लेखांकन मानक गतिशील प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणालियों तथा आर्थिक कारकों पर निर्भर करते हैं।
